‘ प्रधानमंत्री विरासत का संवर्द्धन’ योजना

प्रलिम्सि के लिये:

प्रधानमंत्री विरासत का संवर्द्धन योजना, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

मेन्स के लिये:

सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, कौशल विकास योजनाएँ

चर्चा में क्यों?

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा **प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम** (Pradhan Mantri Kaushal Ko Kaam Karyakram- PMKKK) को **प्रधानमंत्री विरासत का संवर्द्धन (PM VIKAS)** योजना के रूप में नया नाम दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- **परिचय:**
  - यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो देश भर में अल्पसंख्यक और कारीगर समुदायों के कौशल, उद्यमिता एवं नेतृत्व प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर केंद्रित है।
  - यह एक एकीकृत योजना है जो **अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की पाँच पूर्ववर्ती योजनाओं को जोड़ती है:**
    - **सीखो और कमाओ:**
      - यह **अल्पसंख्यकों के लिये प्लेसमेंट से जुड़ी एक कौशल विकास योजना है,** जिसका उद्देश्य **अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल को उनकी योग्यता, वर्तमान आर्थिक रुझान और बाज़ार की क्षमता** के आधार पर विभिन्न आधुनिक/पारंपरिक कौशल में उन्नत करना है।
    - **‘उस्ताद’ (विकास के लिये पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण उन्नयन) योजना : इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की पारंपरिक कला और शिल्प की समृद्ध विरासत को बढ़ावा देना एवं संरक्षित करना है।**
    - **हमारी धरोहर:** यह भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिये तैयार किया गया है।
    - **नई रोशनी:** यह 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग के अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के लिये एक नेतृत्व विकास कार्यक्रम है। इसे वर्ष 2012-13 में शुरू किया गया था।
    - **नई मंजिल:** इस योजना का उद्देश्य 17-35 वर्ष की आयु के छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित युवाओं (पुरुष और महिला दोनों) को लाभान्वित करना है, जिनके पास औपचारिक स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र नहीं है।
    - इस योजना को 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिये कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- **घटक:**
  - कौशल और प्रशिक्षण
  - नेतृत्व और उद्यमिता
  - शिक्षा
  - बुनियादी ढाँचे का विकास
- **उद्देश्य:**
  - पीएम विकास का उद्देश्य कौशल विकास, शिक्षा, महिला नेतृत्व और उद्यमिता के घटकों का उपयोग करके अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से कारीगर समुदायों की आजीविका में सुधार करना है।
  - ये **घटक** योजना के **उद्देश्य हेतु एक-दूसरे के पूरक हैं ताकि लाभार्थियों की आय में वृद्धि की जा सके** और क्रेडिट तथा बाज़ार लिंकेज की सुविधा प्रदान की जा सके।

अल्पसंख्यक से संबंधित अन्य योजनाएँ:

- **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम:**
    - इस कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिये **विद्यालय, महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक, लड़कियों के छात्रावास, आईटीआई, कौशल विकास केंद्र आदि जैसी सामाजिक-आर्थिक** और बुनियादी सुविधाओं को विकसित करना है।
- **बेगम हज़रत महल बालिका छात्रवृत्ति:**
    - **छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों** से संबंधित आर्थिक रूप से पिछड़ी **लड़कियों** के लिये छात्रवृत्ति की सुविधा।
- **गरीब नवाज रोज़गार योजना:**
    - अल्पसंख्यक युवाओं को कौशल आधारित रोज़गार के लिये सक्षम बनाने हेतु **अल्पावधि रोज़गार उन्मुख कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिये** इस योजना को शुरू किया गया था।
- **हुनर हाट:**
    - **यह कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक पाक विशेषज्ञों की कला को विकसित कर** उन्हें बाज़ार एवं रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिये लॉन्च किया गया।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pradhan-mantri-virasat-ka-samvardhan-scheme